सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) का संक्षिप्त इतिहास

इस महाविद्यालय की स्थापना सत्र 1984-85 में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 1984 से की गई है । यह संस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के रायपुर रेल्वे स्टेशन से 38 कि.मी. दूरी पर बिलासपुर से 73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । इसके साथ ही यह स्थान रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग से सिमगा तहसील मुख्यालय से 15 कि.मी. की दूरी पर है । सड़क मार्ग से यह धरसीवां खरोरा से जुड़ा हुआ है । महाविद्यालय प्रारंभ में शास. बी.एन.बगड़िया विद्यालय के भवन में संचालित किया जा रहा था, तत्पश्चात राज्य शासन की प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा महाविद्यालय भवन ग्राम पंचायत कोहका की भूमि पर निर्मित किया गया । फलस्वरूप शासन द्वारा इस महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका-नेवरा किया गया । नवनिर्मित भवन में यह महाविद्यालय दिनांक 03.04.1992 से संचालित हो रहा है । महाविद्यालय भवन की दूरी तिल्दा नगर से 3.50 कि.मी. एवं नेवरा बस्ती से 02 कि.मी. पर स्थित है । दिनांक 21.10.2002 से इस महाविद्यालय का नामकरण क्षेत्र के उद्योगपति एवं दानदाता स्व.श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई । अब यह सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम से जाना जाता है ।

<u>अध्यापन किये जाने वाले विषय :-</u>

यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से निम्नलिखित संकायों, कक्षाओं तथा विषयों के लिए सम्बद्धता प्राप्त कर चुका है ।

स्नातक स्तर - बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी.

स्नातकोत्तर स्तर - एम.ए. - अर्थशास्त्र / हिन्दी / राजनीतिविज्ञान / समाजशास्त्र, एम.कॉम.

उपरोक्त तीनों संकायों में स्नातक स्तर तक भाग एक, दो एवं तीन तथा वाणिज्य, हिन्दी एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिए अध्यापन किये जाते है ।

अध्यापन किये जाने वाले विषय :-

1. कला संकाय (स्नातक स्तर) :	बी.ए. भाग एक, दो एवं तीन हेतु	
अनिवार्य विषय	1. आधार पाठ्यक्रम	2. पर्यावरण अध्ययन (केवल भाग एक के लिए)
वैकल्पिक विषय	निम्नांकित में से कोई तीन	
	1. राजनीति विज्ञान	2. समाज शास्त्र
	3. अर्थशास्त्र	4. इतिहास
	5. हिन्दी साहित्य	
2. वाणिज्य संकाय (स्नातक स्तर)	बी.कॉम. भाग एक, दो एवं तीन हेतु	
अनिवार्य विषय	1. आधार पाठ्यक्रम	
	2. पर्यावरण अध्ययन (केवल भाग एक के लिए)	
	3. सभी अनिवार्य विषय समूह	
3. विज्ञान संकाय (स्नातक स्तर)	1. बी.एस.सी. भाग एक, दो एवं तीन हेतु (गणित समूह एवं जीवविज्ञान समूह)	
4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
1. कला संकाय	एम.ए. अर्थशास्त्र, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र	
2. वाणिज्य संकाय	एम.कॉम.	

प्रवेश के लिए विभिन्न कक्षाओं में रिक्त सीट निम्नानुसार है -

1. बी.ए. भाग एक, दो, तीन	120 (प्रत्येक कक्षा)	4. एम.ए. हिन्दी -30 (प्रत्येक कक्षा)
2. बी.कॉम. भाग एक, दो, तीन	80 (प्रत्येक कक्षा)	5. एम.ए. अर्थ.- 30 (प्रत्येक कक्षा)
3. बी.एस.सी. भाग एक, दो, तीन (गणित समूह)	50 (प्रत्येक कक्षा)	6. एम. कॉम - 30 (प्रत्येक कक्षा)
(जीवविज्ञान समूह)	50 (प्रत्येक कक्षा)	7. एम.ए. राजनीति विज्ञान -20
		8. एम.ए.समाज शास्त्र - 20

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 20 - 20

1. प्रयुक्ति

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधानों के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.2 प्रवेश नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा । प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नाकोत्तर कक्षाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि : प्रवेश प्रारंभ - 15/06/20.....

2.1प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जाएंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी । बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।

2.2प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में समक्ष होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये । किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क किसी अन्यत्र (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जावेगा । आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है ।

2.3पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा । 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

प्रवेश संख्या का निर्धारण -

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोग शाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामाग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा । यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें । तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें ।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्सन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे । सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है । प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे ।

4. प्रवेश सूची

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी ।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश "प्रवेश दिया गया" रद्द की मुहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए ।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रू. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा । तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी ।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये :- स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर.दर्ज किया जायें । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये ।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिंग/अनुशासनहिनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं । ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगे जहाँ की छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है ।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश -

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एच.एस.सी./एम.ए.पूर्व/ प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेटर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.4 विधि संकाय - नियमित प्रवेश - ?

(क) स्नातक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम /द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा -

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता वहां 45 प्रतिशत होगी । एल.एल.एम.पूर्वार्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

6. समकक्ष परीक्षा -

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौसिंल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है ।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन युनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है । उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय जैसे बी.ए./बी.कॉम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है ।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय- समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यताविहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, कि जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश -

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता हैं, किंतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने की पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावें । आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये ।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्ही विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें ।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा कि किसी भी प्रकार की झूठी या गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा । अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है ।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है ।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा । उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा ।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं -

9.1 किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में फेल होने वाले छात्र/छात्राओं का उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदन नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा । उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा ।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है ।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है । प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये । ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें ।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी । परन्तु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को छूट रहेगी ।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन करने के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयु सीमा 30 वर्ष होगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको के लिए 5 वर्ष की छूट होगी ।

(घ) संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

(ड.)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी ।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का बाद ही प्रवेश दिया जावेगा ।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :-

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

11.प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे । आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा ।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में दिया जा सकेगा ।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी ।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी ।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी ।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा ।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा ।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्ताकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगे ।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

आरक्षण के उपर्युक्तनियम समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप होंगे ।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा । पात्रता हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काऊट्स

स्काऊट शब्द को स्काऊट्स / गाईड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें ।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02%
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट	03%
	या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04%
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04%
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिनजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05%
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05%
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10%
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10%
(य)	डयूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10%

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10%

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05%

13.4 **खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ -**

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, जिला व संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04%

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनाय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले टीम के प्रत्येक सदस्य को 06%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07%

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05%

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15%

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सदस्यों को 12%

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10%

13.5 **भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज**
प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृति/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित
एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10%

13.6 छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10%

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12%

13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01%

13.8 **विशेष प्रोत्साहन**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता हैं ।

बशर्ते कि -

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय प्रस्तुत किया है । परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल के पिछले 4 क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगे । स्नातक द्वितीय तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे ।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

महाविद्यालय में स्नातक/स्नातककोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष प्रदान कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यंत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य जारी रख सकता है जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश के निरस्त करने के पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश को लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उनका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्तअन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर को होगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें :-

1. प्रयोगशाला

विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला महाविद्यालय में उपलब्ध है ।

2. ग्रन्थालय

महाविद्यालय ग्रंथालय में लगभग 16,000 पाठ्यपुस्तकें तथा संदर्भ ग्रंथों का विशाल संग्रह है । ग्रंथालय के द्वारा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती है । सामान्य वर्ग के स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं को 02 एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र-छात्राओं को 04 पाठ्यपुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिये प्रदान की जाती है । ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करने के नियम एवं समय-सारिणी की जानकारी ग्रंथालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाती है ।

3. बुक बैंक योजना -

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र-छात्राओं को **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना** के अंतर्गत अतिरिक्तपाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है । **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों** के छात्र-छात्राओं के लिये पृथक बुक बैंक योजना है । महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात छात्र प्रवेश पत्र परिचय पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें प्राप्त कर सकते है । बुक बैंक से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिये ग्रंथपाल से संपर्क करें ।

4. वाचनालय

महाविद्यालय के वाचनालय में प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं तथा शोध पत्रिकाएँ फाईल्स, प्रश्नपत्र आदि सामग्री उपलब्ध करायी जाती है । इनका उपयोग छात्र-छात्राएँ केवल वाचनालय में बैठकर कर सकते है । वाचनालय की समय-सारिणी ग्रन्थालय द्वारा जारी की जाती है ।

5. खेलकूद

इस महाविद्यालय में आउटडोर खेल व्हालीबाल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक्स के मैदान, क्रिकेट पिच की सुविधाएं उपलब्ध है । वहीं इंडोर खेल सुविधाओं में टेबल-टेनिस, कैरम एवं शतरंज उपलब्ध है । खेलकूद में रूचि रखने वाले विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करने के बाद खेलकूद विभाग से संपर्क कर खेल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

6. राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित है महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध है । इसके अंतर्गत समाज सेवा कार्य किया जाता है । इच्छुक छात्र-छात्राओं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर इस योजना में सम्मिलित हो सकते है । एन.एस.एस. के अंतर्गत बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षाएं महाविद्यालय में आयोजित की जाती है । एन.एस.एस. द्वारा प्रवेश सूचना जारी किया जाता है ।

7. कैरियर परामर्श एवं मार्गदर्शक प्रकोष्ठ

महाविद्यालय के प्राचार्य के संरक्षकत्व में अनुभवी एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों के संयोजन से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । इस प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर परामर्श /मार्गदर्शन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाते है । इस प्रकोष्ठ की सभी गतिविधियों की सूचना छात्रों को माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते है । सभी प्रवेशित छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह रचनात्मक कार्यक्रमों का लाभ उठायें ।

8. प्लेसमेंट प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में प्राचार्य के संरक्षण में प्लेसमेंट प्रकोष्ठ गठित किया गया है । इस प्रकोष्ठ द्वारा निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों के सहयोग से कैम्पस चयन/साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किये जाते है तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते है । प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी छात्रों को सूचना पटल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

9. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ -

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । विद्यार्थी अपनी शिकायत इस प्रकोष्ठ के समक्ष रख सकते है ।

10.आंतरिक शिकायत समिति -

महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी समाधान हेतु यह समिति गठित की गई है । लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण की शिकायत समिति के सदस्यों से की जा सकती है । समिति के सदस्यों की सूची एवं उनके मोबाईल नंम्बर महाविद्यालय परिसर में पृथक से प्रदर्शित किये गये है ।

11. शिकायत / सुझाव -

महाविद्यालय में शिकायत एवं सुझाव हेतु बाक्स स्थापित किया गया है । विद्यार्थी अपनी शिकायत अथवा सुझाव हेतु इस पेटी का प्रयोग कर सकते है ।

12. अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति -

नियमित विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने एवं रैगिंग के रोकथाम महाविद्यालय में अनुशासन एवं रैगिंग समिति गठित की गई है ।

13. सूचना का अधिकार एवं लोक सेवा गारंटी -

महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का पूर्णतः परिपालन किया जाता है । विद्यार्थी इस संबंध में अपने अभ्यावेदन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है ।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें

(1) पात्रता संबंधी -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं पं.र.वि.वि. रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत निम्नलिखित प्रकरणों में पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

1.छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अलावा अन्य बोर्ड/मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को,

2. अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन कर इस महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी

नोट - पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

(2)विश्वविद्यालय नामांकन संबंधी -

1. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्राओं को नामांकन फार्म भरना होगा ।
2. प्रथम वर्ष में संकाय परिवर्तन पश्चात प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा ।
3. अमहाविद्यालय उत्तीर्ण छात्रों को नियमित प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा ।
4. स्नातकोत्तर कक्षा में संकाय परिवर्तन पश्चात प्रवेश लेने वाले छात्रों को संकाय परिवर्तन शुल्क एवं नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा ।

नोट - नामांकन के लिए समस्त कक्षाओं की अंक सूचियां (अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण कक्षाओं की फोटोप्रति) पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा (गैप होने पर गैप प्रमाण पत्र नोटरी का)

(3) शिक्षा में गुणात्मक सुधार :-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, महाविद्यालय में स्वशासी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्येताओं के सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये तीन आंतरिक मूल्यांकन जांच परीक्षा (टेस्ट) का प्रावधान है सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अध्येता को प्रत्येक प्रश्न पत्र के में से कम से कम एक टेस्ट में प्रविष्ठ होना अनिवार्य है । आंतरिक मूल्यांकन के पूर्णांक में से अध्येता को अंक प्रदान किये जाते है । अतः यदि किसी टेस्ट में अध्येता अनुपस्थित रहता है तो उस टेस्ट में उसे निरंक (शून्य) प्राप्त हुआ है । ऐसा माना जायेगा ।
2. उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अपने पत्र क्रमांक एफ.23-101/97/38/2 दिनांक 28 जुलाई 1977 द्वारा महाविद्यालय में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के आदेश प्रसारित किये है । इनमें प्रमुख रूप से छात्रों को उपस्थिति पर बल दिया गया है । संदर्भित पत्र की कंडिका चार में स्पष्ट रूप ये आदेशित किया गया है कि यदि किसी छात्र की सभी विषयों में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होगी तभी उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी । 60 से 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर कमी को कुलपति अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा माफ करने का....?

(4) आचरण संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर, थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी के असामाजिक, अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा । वह अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।
10. विद्यार्थी रैगिंग में शामिल नहीं होगा ।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ रखेगा ।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयतन गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।